

हिमाचल प्रदेश सरकार निर्वाचन विभाग



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2008—2009

(01.04.2008 से 31.03.2009)

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ
I.	विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत सूचना)	1—15
II.	विभाग के संविधिक (स्टैचुटरी) कार्य	16—23
III.	प्रशासनिक कार्य	24—33
IV.	परिशिष्ट	34—42

अध्याय—1

निर्वाचन विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1984—85 में सचिवालय का दर्जा प्राप्त हुआ। निर्वाचन विभाग, सरकार का “विभागीय मुख्यालय” एवं “प्रशासनिक विभाग” भी है। मुख्य मन्त्री इस विभाग के मन्त्री प्रभारी हैं। निर्वाचन विभाग का विवरण, संगठनात्मक ढांचा, क्रियाकलाप, शक्तियां और कर्तव्य निम्न प्रकार से है, जिनका वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के उप-खण्ड(2) के अन्तर्गत उल्लिखित है।

1. विभागीय विवरण, कार्यकलाप एवं कर्तव्य

निर्वाचन विभाग एक गैर योजना विभाग है और विभिन्न प्रकार के निर्वाचनों के संचालन का उत्तरदायित्व निभाता है। यह विभाग निम्न प्रकार की संविधिक (Statutory) कार्य/ गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण में निर्वहन करता है :-

- 1 राष्ट्रपतीय/ उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन का संचालन,
- 2 राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन,
- 3 लोक सभा/विधान सभा के साधारण निर्वाचन/ उप निर्वाचन,
- 4 मतदान केन्द्रों की स्थापना,
- 5 मतदाता सूचियों की तैयारी एवं अद्यतन,
- 6 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना,
- 7 लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
- 8 राष्ट्रीय मतदाता जागरण अभियान।

इसके अतिरिक्त दूसरे नियमित कार्य जैसे स्थापना/ बजट, लेखा, भण्डार की आपूर्ति/ वितरण इत्यादि का कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

विभाग के कार्य का विभाजन

(i) राज्य मुख्यालय स्तर पर

- (क) सचिव (निर्वाचन) बतौर “प्रशासनिक विभाग” और विभाग में श्रेणी-1 और श्रेणी-11 के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कार्य करते हैं।
- (ख) मुख्य निर्वाचन अधिकारी “विभागाध्यक्ष” है और तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सक्षम हैं तथा जिलों में यह शक्तियां सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को निहित है।

- (ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ संविधिक कार्य (Statutory functions) के कार्यान्वयन हेतु एक अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन) पदाविहित है जोकि कार्यालयाध्यक्ष एवं नियन्त्रण अधिकारी है।
- (घ) विभागीय केडर का एक पद सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) जोकि राज्य सरकार के अवर सचिव के दर्जे के बराबर का है, विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी आहरण एवं संवितरण का कार्य करता है तथा यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता के लिए नियन्त्रण अधिकारी भी है। शाखा-1 में उक्त अधिकारी की सहायतार्थ 7 वरिष्ठ सहायकों के पद हैं।
- (ङ) एक और विभागीय केडर का पद निर्वाचन अधिकारी (प्रथम श्रेणी) भी विभाग में विद्यमान है। उक्त अधिकारी की सहायतार्थ एक अनुभाग अधिकारी तथा चार वरिष्ठ सहायक शाखा-11 का कार्य देखते हैं।
- (च) एक तकनीकी पद कम्प्युटर प्रोग्रामर(श्रेणी-1) का स्वीकृत है। इस अधिकारी की सहायतार्थ कम्प्युटर सैल में एक कम्प्युटर ऑपरेटर, एक डाटा ऑपरेटर और एक कनिष्ठ सहायक भी हैं। कम्प्युटर सैल में कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय स्टाफ तथा जिला मुख्यालय/ उप मण्डलीय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को कम्प्युटर प्रशिक्षण आदि का कार्य करते हैं।

(ii) जिला मुख्यालय स्तर

जिलों के उपायुक्त "जिला निर्वाचन अधिकारी" होते हैं और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। उपायुक्त, शिमला, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा लोक सभा निर्वाचनों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हैं। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ एक-एक तहसीलदार(निर्वाचन) कार्यरत हैं। जिला कांगड़ा व मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन) तथा अन्य आठ जिलों में एक-एक नायब तहसीलदार (निर्वाचन) विद्यमान हैं। जिला किन्नौर एवं लाहौल-स्पिति में नायब तहसीलदार (निर्वाचन) नहीं हैं।

(iii) उप मण्डलीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी उप मण्डलाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दो उपायुक्त (जिला लाहौल एवं स्पिति और किन्नौर) भी बतौर रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए गये हैं। राजस्व/ निर्वाचन विभाग के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार राजस्व भी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो/ लिपिक तथा चपड़ासी रिटर्निंग ऑफिसरों की सहायतार्थ पदाविहित हैं।

2. ऑफिसरों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कार्यकलाप

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पदाभिहित करता है।

उक्त अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा पूर्व-पदेन सचिव(निर्वाचन) के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में निर्वाचन विभाग की कोई अलग शाखा नहीं है इसलिए वह प्रशासनिक सचिव एवं निर्वाचन विभागाध्यक्ष हैं।

- बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनका निर्वाचन विभाग पर पूर्ण नियन्त्रण है।
- वह जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादनार्थ उनका परीक्षण करते हैं। विभाग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए भी वह सक्षम है।
- वह बतौर विभागाध्यक्ष एवं सचिव(निर्वाचन) वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु सक्षम हैं।
- उनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियों के निवारण के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी की शक्तियां निहित हैं।
- वह विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवम् अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन)

यह पद हिमाचल प्रशासनिक सेवा कैडर का है तथा उक्त अधिकारी निर्वाचन विभाग के मुख्यालय का कार्यालयाध्यक्ष है। इनके द्वारा निम्न कार्य का निष्पादन किया जाता है :-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) के साथ सभी विभागीय मामलों में सहायता करना।
- निर्वाचन विभाग की दोनों शाखाओं एवं कम्प्युटर सैल का पर्यवेक्षण।
- कार्यालयाध्यक्ष स्तर के सभी वित्तीय मामलों का निपटारा।
- विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति का पुष्टिकरण।
- मुख्यालय पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु रिपोर्टिंग आफिसर।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

यह अधिकारी (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) राज्य के अवर सचिव के स्तर के हैं। वह निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर बतौर आहरण एवं सवितरण अधिकारी तथा नियन्त्रण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी विभागीय मामलों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन) तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहायता करना।
- बजट, लेखे व भण्डार सम्बन्धी मामलों के कार्यों की देखरेख करना।
- विभाग की अन्य गतिविधियों जैसे विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग, प्रशासन में दक्षता सम्बन्धी बैठक में भाग लेना।
- अन्य विभागीय कार्यों का निरीक्षण/ निष्पादन आदि।

निर्वाचन अधिकारी

विभाग में यह पद भी राजपत्रित प्रथम श्रेणी का है। इनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- सभी प्रकार के निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाता सूचियों का अद्यतन, कम्प्यूट्रीकरण, मतदाताओं के पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना तथा लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यों की देखरेख करना।

अनुभाग अधिकारी-I

यह अधिकारी अनुभाग-I का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य स्थापना, बजट, लेखे व भण्डार सामग्री आदि मामलों का निष्पादन है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सहायकों के कार्य का निरीक्षण इत्यादि।

अनुभाग अधिकारी-II

यह अधिकारी अनुभाग-II का प्रभारी होता है। इनका मुख्य कार्य निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता जागरण अभियान, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतों आदि के कार्य का निष्पादन है तथा सम्बन्धित सहायकों का कार्य का निरीक्षण आदि।

निजी स्टाफ

निजी स्टाफ में एक पद निजी सचिव तथा एक पद वरिष्ठ आशुलिपिक और एक पद कनिष्ठ आशुलिपिक का सृजित है। यह निजी स्टाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव (निर्वाचन) अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन) के दिनचर्या के कार्य एवं जो भी सरकारी कार्य उन्हें अधिकारियों द्वारा सौंपा जाए जैसे फाईलों का रखरखाव, गोपनीय रिकार्ड की

अभिरक्षा, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा में टंकण का कार्य तथा वाहनों आदि का नियन्त्रण का कार्य का निष्पादन करता है।

इसके अतिरिक्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद नाम	स्वीकृत पद
1.	III	वरिष्ठ सहायक	25
2.	III	निर्वाचन (कानूनगो)	70
3.	III	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	77
4.	III	कम्प्युटर आप्रेटर	1
5.	III	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
6.	III	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
7.	III	चालक	2
8.	IV	प्रतिलिपि चन्द्र चालक	1
9.	IV	दफतरी	1
10.	IV	चपड़ासी	74
11.	IV	चौकीदार	12
कुल योग			265

जिला स्तर के कार्यालय

जिला निर्वाचन अधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13कक के अनुसरण में प्रत्येक जिला के उपायुक्त को निर्वाचन कार्य के निर्वहन हेतु "जिला निर्वाचन अधिकारी" पदाभिहित किया गया है और वे जिलों में बतौर "कार्यालयाध्यक्ष" कार्य करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में जिलों में निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाते हैं। चार जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा तथा मण्डी लोक सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गये हैं। अन्य जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पदाविहित किए गये हैं। किन्नौर और लाहौल-स्पिति के उपायुक्त बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर भी कार्य करते हैं।

तहसीलदार (निर्वाचन)

जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायतार्थ प्रत्येक जिला में एक-एक तहसीलदार (निर्वाचन) नियुक्त किए गये हैं। उक्त तहसीलदारों को आहरण एवं सवितरण अधिकारियों की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा विधान सभा निर्वाचनों के संचालनार्थ उन्हें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी पदाविहित किया गया है। उक्त अधिकारी सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में निर्वाचन का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया, वोटिंग मशीनों के बारे में प्रशिक्षण आदि प्रदान करते हैं। उपमण्डल स्तर के निर्वाचन के कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण भी तहसीलदार (निर्वाचन) ही करते हैं।

फील्ड के सभी प्रकार के कार्य जैसे मतदाता सूचियों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना, मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कार्य का निरीक्षण आदि भी वे ही करते हैं।

नायब तहसीलदार (निर्वाचन)

लाहौल स्पिति तथा किन्नौर को छोड़कर जिला निर्वाचन कार्यालय शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चम्बा तथा कुल्लू में एक-एक नायब तहसीलदार तथा कांगड़ा एवं मण्डी में दो-दो नायब तहसीलदार (निर्वाचन), तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ नियुक्त है। उक्त अधिकारी भी मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उक्त अधिकारी फील्ड में निर्वाचन कार्य की देखरेख भी करते हैं।

वरिष्ठ सहायक

तहसीलदार (निर्वाचन)/ नायब तहसीलदार (निर्वाचन) की सहायतार्थ प्रत्येक जिले में एक या दो वरिष्ठ सहायकों के पद स्वीकृत हैं। उक्त कर्मचारी स्थापना, बजट एवं लेखे तथा निर्वाचन संचालनार्थ पत्राचार आदि का कार्य करते हैं।

कनिष्ठ सहायक/ लिपिक

प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में दो या तीन कनिष्ठ सहायक/ लिपिक के पद स्वीकृत हैं। उक्त कनिष्ठ सहायक/ लिपिक, वरिष्ठ सहायक की सहायता करते हैं तथा हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण कार्य, बिलों की तैयारी, डाक आवति/ प्रेषण, भण्डार सामग्री का रखरखाव इत्यादि का कार्य सम्भालते हैं।

चपड़ासी/ चौकीदार

जिला निर्वाचन कार्यालयों में 2-3 चपड़ासी तथा एक-एक चौकीदार के पद स्वीकृत है।

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय

रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचनों के संचालनार्थ उप मण्डलाधिकारी(नागरिक), बतौर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं तथा मतदाता सूचियों की तैयारी हेतु वह बतौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाविहित किए गये हैं। उप मण्डल स्तर पर उक्त अधिकारी निर्वाचन शाखा के प्रभारी भी होते हैं।

निर्वाचन कानूनगो

प्रत्येक उप मण्डल स्तर पर प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक निर्वाचन कानूनगो का पद स्वीकृत है। निर्वाचन कानूनगो रिटर्निंग ऑफिसर/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायतार्थ नियुक्त हैं तथा फ़िल्ड में निर्वाचन संचालन, मतदाता सूचियों की तैयारी और निरन्तर अद्यतन, मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, मतदान केन्द्रों की स्थापना आदि का कार्य करवाते हैं।

कनिष्ठ सहायक/लिपिक

एक पद कनिष्ठ सहायक/ लिपिक का हर उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत है। उक्त कर्मी हिन्दी/ अंग्रेजी का टंकण, डाक आवति/ प्रेषण और निर्वाचन भण्डार के रख-रखाव का कार्य करते हैं तथा निर्वाचन कानूनगो के साथ हर मामलें में सहायता करते हैं।

चपड़ासी

उप मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय के लिए एक-एक पद चपड़ासी का स्वीकृत है जोकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का कार्य सम्भालते हैं।

3. पर्यवेक्षण के माध्यम तथा उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया हेतु अपनाई गई कार्य विधि

निर्वाचन विभाग में कार्यालय के कार्य की सुचारूता के अनुरूप सभी अधिकारियों/व्यवहृतकर्ता सहायकों तथा अन्य कर्मियों को कार्य का आबंटन किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ उनका उत्तरदायित्व निर्धारित है। जहां तक कार्य के पर्यवेक्षण का प्रश्न है सभी व्यवहृतकर्ता अपने-अपने मामले में सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी को तथा अनुभाग अधिकारी आगे शाखा प्रभारी को फाईलें प्रस्तुत करते हैं। शाखा प्रभारी फाईलों को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोकि कार्यालयाध्यक्ष हैं तथा अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन) भी हैं, उनके स्तर के मामलों के निपटान हेतु प्रस्तुत करते हैं। जो मामले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर बतौर विभागाध्यक्ष निपटाए जाने हों, ऐसे मामले अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये जाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रभारी मन्त्री को मामले प्रस्तुत करते हैं क्योंकि निर्वाचन विभाग एक तरह से Single Line Administration वाला विभाग है। अतः सभी मामलों पर तत्परता से निर्णय ले लिए जाते हैं।

4. कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मानक

निर्वाचन विभाग में हर ऑफिसर के कार्य निष्पादन हेतु संविधिक प्रावधान (Statutory Provisions) हैं जिसके अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है।

निर्वाचन विभाग के पास विभागीय कर्मियों की नियुक्ति/ पदोन्नति के नियम हैं। जहां तक विभाग की कार्य प्रणाली का प्रश्न है, इस विभाग का सारा कार्य भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निर्देशन में होता है जिसके लिए निम्न केन्द्रीय अधिनियम, नियम, आदेश/ अनुदेश हैं :-

- 1 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952.
- 2 राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974.
- 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा 1951
- 4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960.
- 5 निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961.
- 6 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अधिनियम, 2002.
- 7 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 8 रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 9 राज्य सभा निर्वाचन से सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका।
- 10 पीठासीन अधिकारियों के लिए पुस्तिका।
- 11 संकलित अनुदेशों की पुस्तिका।
- 12 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968.

5. विभाग के पास अथवा इसके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों के वर्गीकरण की विवरणी।

- (क) वित्तीय बजट आबटन से सम्बन्धित पुस्तिका
- (ख) विभाग द्वारा तैयार की गई वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- (ग) गत लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचनों से सम्बन्धित रिपोर्ट
- (घ) पावती/ प्रेषण रजिस्टर
- (ङ.) हाजिरी रजिस्टर
- (च) आकस्मिक अवकाश रजिस्टर
- (छ) बजट नस्तियां
- (ज) स्थापना से सम्बन्धित नस्तियां
- (झ) पुनार्वलोकन बैठकों की नस्तियां
- (ञ) संसदीय/ विधान सभा प्रश्नों की नस्तियां
- (ट) अन्य नियमित कार्यों से सम्बन्धित नस्तियां आदि।

6. विभाग से सम्बन्धित नीतियों के प्रारूपीकरण अथवा तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए किसी विद्यमान व्यवस्था का विवरण।

विभागीय नीतियों (Policies) के कार्यान्वयन हेतु जैसे मतदान केन्द्रों की स्थापना, फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी, आदर्श आचार संहिता की अनुपालना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिशीमन आदि के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है।

7. ऐसे बोर्ड, परिषद, समितियां अथवा अन्य निकाए जोकि दो अथवा अधिक व्यक्तियों सहित विभाग के भाग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित हो तथा क्या ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाओं की बैठके जनता के लिए सार्वजनिक है अथवा क्या ऐसी बैठकों की कार्यवाही जनता की पहुंच में है।

विभाग द्वारा कोई बोर्ड, समितियां गठित नहीं की गई हैं।

8. विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

विभिन्न श्रेणियों के निम्न विवरणानुसार राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा उप मण्डलीय स्तर पर पद स्वीकृत हैं।

क्र. सं.	पदों का विवरण	पदों की संख्या
राज्य मुख्यालय स्तर पर		
श्रेणी-I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन)	1
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव(निर्वाचन)	1
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
4.	निर्वाचन अधिकारी	1
5.	अनुभाग अधिकारी	2
6.	कम्प्युटर प्रोग्रामर	1
7.	निजी सचिव	1
श्रेणी-III		
8.	वरिष्ठ सहायक	11
9.	वरिष्ठ आशुलिपिक	1
10.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
11.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	9
12.	कम्प्युटर ऑपरेटर	1
13.	चालक	2
श्रेणी-IV		
14.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	1
15.	दफ्तरी	1
16.	सेवादार	6
17.	चौकीदार	1
योग		42
जिला मुख्यालय स्तर पर		
श्रेणी-I		
1.	तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-II		
2.	नायब तहसीलदार (निर्वाचन)	12
श्रेणी-III		
3.	वरिष्ठ सहायक	14
4.	कानूनगो (निर्वाचन) [{21-लाहौल-स्पति (अ.ज.जा) और 68-किन्नौर(अ.ज.जा) सभा निर्वाचन क्षेत्र}]	2
5.	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	25
श्रेणी-IV		
6.	सेवादार	28
7.	चौकीदार	11
योग		104
उप मण्डल स्तर पर		
1.	कानूनगो (निर्वाचन) (श्रेणी-III, अराजपत्रित)	68
2.	कनिष्ठ सहायक (श्रेणी-III, अराजपत्रित)	43
3.	सेवादार (श्रेणी-IV, अराजपत्रित)	40
योग		151
कुल योग		297

9. विभाग के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा माहवार प्राप्त किया जाने वाला पारिश्रमिक:—

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान
1.	2.	3.
श्रेणी—I		
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव(निर्वाचन)	मास्टर वेतन बेन्ड 37400-67000 +10000 Grade pay
2.	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त सचिव(निर्वाचन)	14300-18600 + 800 सचिवालय भत्ता
3.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	10025-15100 + 800 सचिवालय भत्ता
4.	निजी सचिव	7220-11660 + 600 सचिवालय भत्ता
5.	निर्वाचन अधिकारी	7880-11660 + 400 सचिवालय भत्ता
6.	अनुभाग अधिकारी	7220-11660 + 400 सचिवालय भत्ता
7.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	7220-11660
8.	तहसीलदार (निर्वाचन)	7000-10980
श्रेणी—II		
9.	नायब-तहसीलदार(निर्वाचन)	6400-10640
श्रेणी—III		
10.	वरिष्ठ सहायक	5800-9200 + 240 सचिवालय भत्ता (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ सहायकों के लिए)
11.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	5800-9200 + 240 सचिवालय भत्ता
12.	निर्वाचन कानूनगो	4550-7220 +100 विशेष भत्ता
13.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	4400-7000 +150 सचिवालय भत्ता
14.	कम्प्यूटर ऑप्रेटर	5000-8100 +150 सचिवालय भत्ता
15.	कनिष्ठ सहायक	4400-7000 +150 सचिवालय भत्ता (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ सहायकों के लिए)
16.	चालक	3330-6200 + 700 विशेष भत्ता
17.	लिपिक	3120-5160 +120 सचिवालय भत्ता (प्रारम्भिक 3220 / -रुपए) (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत लिपिकों के लिए)
श्रेणी—IV		
18.	प्रतिलिपि यन्त्र चालक	2820-4400 +100 सचिवालय भत्ता
19.	दफतरी	2820-4400 +160 सचिवालय भत्ता

20.	चपड़ासी	2520-4140 +120 सचिवालय भत्ता (प्रारम्भिक रू. 2620/-) (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चपड़ासियों के लिए)
21.	चौकीदार	2520-4140 +120 सचिवालय भत्ता (प्रारम्भिक रू. 2620/-) (केवल मुख्यालय स्तर पर कार्यरत चौकीदार के लिए)

10. समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा वितरया की रिपोर्ट दर्शाते हुए प्रत्येक विभाग की एजेंसियों का बजट आबंटन।

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है तथा विभिन्न प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करता है। निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित योजनाएं, स्कीमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप कार्यान्वयन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2008-2009 के लिए अनुपूरक अनुदान सहित स्वीकृत बजट, वित्त वर्ष हेतु किए गए पुनर्विनियोजन सहित कुल बजट प्रावधान तथा 31 मार्च, 2009 तक के अनुमानित व्ययों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

मांग संख्या	वित्त वर्ष हेतु स्वीकृत बजट (रूपये)	पुनर्विनियोजन/सहमति सहित कुल प्रावधान (रूपये)	कुल उपलब्ध बजट	वित्त वर्ष का वास्तविक आंकड़ों के अनुरूप अनुमानित व्यय (रूपये)
17-निर्वाचन	4,98,64,000	8,34,99,000	13,33,63,000	12,91,32,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,50,000	50,000	3,00,000	3,00,000
31-जनजातीय विकास	39,85,000	14,19,000	54,04,000	50,09,000
कुल योग	5,40,99,000	8,49,68,000	13,90,67,000	13,44,41,000

- वित्त वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर, उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध बजट के दृष्टिगत अनुपातिक दर से आबंटन किया गया तथा मासिक आय/ व्ययों के संकलित विवरण भली-भान्ति तथा नियमानुसार तैयार किए गए।
- इसी वित्त वर्ष के दौरान आगामी वित्त वर्ष 2009-2010 हेतु निम्नलिखित बजट अनुमान वित्त विभाग/जनजातीय विकास विभाग को प्रस्तुत किये गये:-

मांग संख्या	वित्त वर्ष 2009-2010 हेतु अनुमानित बजट प्रावधान
17-निर्वाचन	17,66,71,000
19-नागरिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,50,000
31-जनजातीय विकास	1,22,72,000
कुल योग	18,93,93,000

- उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार को निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त वर्ष 2009–2010 के लिए कुल 18,89,16,000/- रुपये के बजट अनुमान भेजे गये।
- इसी प्रकार राज्य सभा निर्वाचनों के लिए कुल 25,000/- रुपये के वित्त वर्ष 2009–2010 के लिए बजट अनुमान भी भारत सरकार को भेजे गये।
- वित्त वर्ष 2008–2009 के दौरान भारत सरकार से निर्वाचन व्ययों में उनके भाग की पूर्ति हेतु अभी तक कुल 2,91,30,000/- रुपये की निधि बुक ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध हुई तथा इसे विभागीय आय मुख्य लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02-निर्वाचन 800-अन्य प्राप्तियां 01-भारत सरकार के भाग की प्रतिपूर्ति से आय" के अन्तर्गत जमा करवाने हेतु महालेखाकार कार्यालय, शिमला-171003 से अनुरोध किया गया।
- वित्त वर्ष के दौरान वित्त एवं जनजातीय विकास विभाग को विभाग से सम्बन्धित सभी मांगों के अधीन बजट प्रावधान एवं व्ययों पर नियन्त्रण के उद्देश्य से समय-समय पर आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध करवाई गई।
- वित्त वर्ष के दौरान भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विभाग से सम्बन्धित मांगों के अधीन अंकित पैरों के तर्कसंगत एवं यथोचित सटिप्पण उत्तर सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, वरिष्ठ उप महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश तथा वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को यथा समय उपलब्ध करवाए गए।
- ऊपर वर्णित के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2008–2009 के आय/व्यय आंकड़ों का समय-समय पर लेखा कार्यालयों से मिलान किया गया तथा बजट एवं व्ययों सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, मान्य लोक लेखा समितियां, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग आदि सभी सम्बन्धित संस्थानों को उपलब्ध करवाई गई तथा नेमी कार्यों के सम्पादन के साथ-साथ अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित अन्य कार्यों का भी सम्पादन किया गया।

गैर जनजातीय क्षेत्र के लिए **मांग संख्या 17—"निर्वाचन"**

लेखा शीर्ष : "2015-निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष :

102-निर्वाचन अधिकारी-01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग-I व II
103-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-01-विधान सभा
103-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-02-लोक सभा
104-01-लोक सभा/ विधान सभा के एक साथ होने वाले निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी प्रभार
105-लोक सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार-01-लोक सभा
106-विधान सभा निर्वाचन संचालन सम्बन्धी प्रभार-01-विधान सभा
108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

**जनजातीय क्षेत्र के लिए
मांग संख्या 31—“जनजातीय विकास”**

लेखा शीर्ष : “2015-निर्वाचन(गैर योजना) दत्तमत

उप शीर्ष : 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01-मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं स्टाफ, वेतन, भाग-। व ।।
02-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-विधान सभा
03-मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण-लोक सभा
04-लोक सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
05-विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार
08-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
09-लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन संचालनार्थ प्रभार

11. आबंटित धनराशि सहित अनुदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण :

निर्वाचन विभाग गैर योजना विभाग है। इस विभाग द्वारा कोई अनुदान धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता है।

12. विभाग द्वारा प्रदान की गई छूट, परमिट अथवा प्राधिकार पाने वालों का विवरण :

विभाग के किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परमिट और प्राधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं।

13. विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण :

इस विभाग के पास 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची वेबसाइट “<http://ceohimachal.gov.in>” और “<http://ceohimachal.nic.in>” जनसाधारण की सूचनार्थ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में नागरिकों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

14. नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :

प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी लाने हेतु तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावशाली कार्यन्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हि.प्र. सूचना का अधिकार नियम

2006 बनाए है। नागरिक कोई भी सूचना प्राप्त करने हेतु 10/- के निर्धारित शुल्क के साथ सादा आवेदन कर सकता है।

रिपोर्टाधीन अवधि अर्थात् 1-4-2008 से 31-3-2009 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न माध्यमों से विभाग में कुल 33 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

15. जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद तथा अन्य विवरण :

राज्य मुख्यालय स्तर पर		
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	जन सूचना अधिकारी	
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	सहायक जन सूचना अधिकारी	
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।	अपील प्राधिकारी	
जिला मुख्यालय स्तर पर 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए		
अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त (इनमें से जो भी जिला निर्वाचन कार्यालय का प्रभारी हो) उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।	जन सूचना अधिकारी	
(क) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर (उप मण्डल अधिकारी/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	सहायक जन सूचना अधिकारी	
(ख) तहसीलदार (निर्वाचन)/नायब तहसीलदार (निर्वाचन), उनके अपने जिले के अधिकार क्षेत्र में।		
जनजातीय जिलों के लिए		
1.	जिला किन्नौर के लिए :	
	उपायुक्त किन्नौर के सहायक आयुक्त	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), किन्नौर	सहायक जन सूचना अधिकारी
2.	जिला लाहौल-स्पिति के लिए :	
(क)	लाहौल क्षेत्र के लिए :	
	उप मण्डल अधिकारी(ना.), केलंग	जन सूचना अधिकारी
	तहसीलदार (निर्वाचन), केलंग	सहायक जन सूचना अधिकारी
(ख)	काजा क्षेत्र के लिए :	
	अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, काजा (स्थिति के अनुसार)	जन सूचना अधिकारी
	निर्वाचन कानूनगो, काजा	सहायक जन सूचना अधिकारी
	जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) उनके अपने अधिकार क्षेत्र में।	अपील प्राधिकारी

16. विभाग की सामान्य सूचना :

वर्ष 2008-09 के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा अध्याय-11 में वर्णित मुख्य कार्यों को सम्पादित करवाया गया है।

अध्याय—।।

विभाग के संविधिक(स्टैचूटरी) कार्य

(क) मतदान केन्द्रों की स्थापना:

- लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2002 के अन्तर्गत परिभाषित प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को समुचित संख्या में विभाजित करके मतदान केन्द्रों की स्थापना, भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व सहमति व मान्य संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों एवं राजनैतिक दलों से पूर्व चर्चा के पश्चात् की गई है।
- इन्हीं स्थापित मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं द्वारा लोक सभा एवं विधान सभा के विभिन्न निर्वाचनों/ उप-निर्वाचनों के लिए मतदान किया जाता है।
- मतदाता सूचियां मतदान केन्द्रवार तैयार की जाती हैं। मतदान केन्द्रों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मतदाता सूचियों पर भी पड़ता है, अतः ये मतदान केन्द्र साधारणतया स्थाई तौर पर स्थापित किये जाते हैं तथा इनमें परिवर्तन अपरिहार्य कारणों से ही आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त करके किया जाता है।
- आयोग ने प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 निर्धारित की है। प्रदेश के 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले 6,244 मतदान केन्द्र स्थापित थे परन्तु मतदान केन्द्रों के पुनर्संयोजन के पश्चात् आयोग को कुल 7251 मतदान केन्द्रों की प्रस्तावना भेजी गई थी जिसकी स्वीकृति आयोग ने पत्र संख्या 64/HP/1/08/2724, दिनांक 18.6.2008 द्वारा दे दी है। उक्त स्वीकृति के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूचियों का प्रकाशन समस्त जिलों में दिनांक 30-06-2008 को कर दिया गया। अब हिमाचल प्रदेश में कुल 7251 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। आगामी लोक सभा निर्वाचन-2009 के दौरान मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग को 2 सहायक मतदान केन्द्रों की प्रस्तावना भेजी गई थी जिसकी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की है।
- निर्वाचन विभाग का सदैव प्रयास रहा है कि समय-समय पर जनसाधारण को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जायें। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, पर्वतीय स्थिति, बिखरी जनसंख्या व जंगली क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े, इसी आशय से मतदाता सूचियों की तैयारी से पूर्व समय-समय पर जनसाधारण अथवा राजनैतिक दलों से प्राप्त प्रतिवेदन/ सुझावों के अनुसार और अधिक मतदान केन्द्र खोलकर इनमें वृद्धि की जाती रही है। प्रदेश में मतदान केन्द्रों की वर्तमान कुल संख्या 7253 हैं, जिनमें 2 सहायक मतदान केन्द्र भी सम्मिलित है। राज्य के लोक सभा निर्वाचन-2009 के दौरान मतदाताओं की सुविधा हेतु 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो 2 सहायक मतदान केन्द्र खोले गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्नित है।

(ख) फोटो मतदाता सूचियों की तैयारी:

- विभिन्न निर्वाचनों के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की तैयारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों एवं निर्धारित कार्यक्रमानुसार करवाई जाती हैं। मतदाता सूचियों की तैयारी चार विधियों द्वारा सम्पन्न करवाई जाती है – (1) गहन पुनरीक्षण, (2) संक्षिप्त पुनरीक्षण, (3) आंशिक गहन एवं आंशिक संक्षिप्त पुनरीक्षण, (4) विशेष पुनरीक्षण। सामान्यतः प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया जाता है। गहन पुनरीक्षण वाले वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष फोटोयुक्त सूचियों का संक्षिप्त अथवा विशेष पुनरीक्षण ही करवाया जाता है। उक्त मतदाता सूचियां प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी को मतदाताओं की 18 वर्ष की आयु अहर्ता को आधार मानकर तैयार की जाती है।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियां मतदान केन्द्र वार तैयार की जाती हैं। मतदाताओं का डाटाबेस कम्प्यूटरीकृत है तथा स्थाई किस्म का है। गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रगणकों को घर-घर जाकर सत्यापन हेतु प्रारूप मतदाता सूचियां प्रदाय की जाती है। इनमें मृतक व अपात्र मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं जबकि पात्र नागरिकों के नाम सम्मिलित किये जाते हैं। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये सूचियां मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायतों में निर्धारित अवधि तक जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण हेतु रखी जाती हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को निरन्तर अद्यतन बनाए रखने, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण व फोटो पहचान पत्रों के कार्यक्रम के व्यापक प्रचार हेतु कुल 4373 बूथ लेवल आफिसर नियुक्त किए गए हैं। एक बूथ लेवल आफिसर को क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा मतदाताओं की संख्या के दृष्टिगत एक या अधिक मतदान केन्द्र भी आबंटित किए गए हैं।
- परिसीमन आयोग की अधिसूचना संख्या 282/हि.प्र./2006, दिनांक 10 जनवरी, 2007, विधि और न्याय मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 382 (ई), दिनांक 19 फरवरी, 2008 के परिणामस्वरूप नये परिसीमित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गठित 7251 मतदान केन्द्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 01 जनवरी, 2008 की आधार तिथि पर संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया जिसका कार्यक्रम निम्न से है:-

क्रम संख्या	विवरण	समयावधि
1.	मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में)	10 जुलाई, 2008
2.	दावे /आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर)	10 जुलाई, 2008 से 24 जुलाई, 2008 तक
3.	मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/ अनुभाग, ग्राम सभा/ स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा /सत्यापन किया जाना	13 नवम्बर, 2008
4.	दावे /आक्षेपों का निपटारा और अनुपूरक सूचियों की तैयारी	25 जुलाई, 2008 से 11 अगस्त, 2008 तक
5.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	31 अगस्त, 2008

तदोपरान्त 01 जनवरी, 2009 की आधार तिथि के अनुसार फोटो मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण निम्न कार्यक्रम अनुसार किया गया है:—

क्रम संख्या	विवरण	समयावधि
1.	मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में)	10 नवम्बर, 2008
2.	दावे /आक्षेप दाखिल करने की अवधि (उपरोक्त सभी स्थानों पर)	10 नवम्बर, 2008 से 25 नवम्बर, 2008
3.	मतदाता सूची का सम्बन्धित भाग/ अनुभाग, ग्राम सभा/ स्थानीय निकायों की बैठकों में पढ़ा /सत्यापन किया जाना	13 नवम्बर, 2008
4.	विशेष अभियान की तारीखें (सभी मतदान केन्द्रों पर)	16 नवम्बर, 2008 व 23 नवम्बर, 2008
5.	दावे /आक्षेपों का निपटारा और अनुपूरक सूचियों की तैयारी	24 दिसम्बर, 2008 तक
6.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	10 जनवरी, 2009

- आयोग के निर्णय के अनुसरण में इन 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की 10-11-2008 को प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों के सम्बन्धित भाग को सभी ग्राम सभाओं में 13.11.2008 को विशेष बैठक आयोजित करके उपस्थित सदस्यों के सन्मुख पढ़ा गया। शहरी क्षेत्रों में भी मतदाता सूचियों के सम्बन्धित भागों को वार्ड स्तर तक पढ़ा गया/ सत्यापन करवाया गया। इन विशेष बैठकों में मृत तथा स्थान परित्याग कर चुके मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाने के लिए जन-साधारण से प्राप्त सूचना, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रों और परिवार रजिस्ट्रों से भी सूचनाएं एकत्रित करके मृत/ स्थान परित्याग कर चुके मतदाताओं की पहचान की गई और उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाने बारे कार्यवाही की गई। उपरोक्त बैठकों में 2,319 नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए और 23,092 अपात्र मतदाताओं के नामों की पहचान की गई जिनके नाम मतदाता सूचियों से काटे जाने थे। आयोग का यह निर्णय मतदाता सूचियों को सही, नवीनतम और त्रुटिरहित तैयार करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है।
- आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाई गई।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2009 के बारे में जनसाधारण को जानकारी प्रदाय करने एवं व्यापक प्रचार के लिए 30,000 पोस्टर, 1 प्रेस नोट और विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किये गये। इसके साथ-साथ सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ए.डी.एम/एस.डी.एम) द्वारा भी न्यूज आईटम और प्रेस नोट जारी करके फील्ड में व्यापक प्रचार किया गया ताकि पात्र व्यक्तियों के नामों को मतदाता सूचियों में सम्मिलित किया जा सके और मृत तथा स्थान परिवर्तित मतदाताओं के नामों को सूचियों से हटाया जा सके।

- प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 45,40,822 थी। उपरोक्त अवधि में 59,057 आवेदन नाम दर्ज करने और 55,786 अपात्र मतदाताओं के नाम अपमार्जित करने (हटाने) हेतु दावे/ आक्षेप प्राप्त हुए। इन पर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्णय करके कुल 54,967 नाम दर्ज किए गए तथा कुल 54,717 नाम काटे गए जिसके कारण दिनांक 10-01-2009 को मतदाता सूचियों में कुल मतदाता 45,41,072 हो गए हैं। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन प्रदेश के समस्त 7251 मतदान केन्द्रों पर दिनांक 10.01.2009 को कर दिया गया है। फोटो मतदाता सूचियों की 40 प्रतियों की लेजर प्रिन्टिंग निजी प्रैसों में करवाई गई है।

(ग) मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी:

भारत निर्वाचन आयोग ने मई-2008 में 4- हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के उप चुनाव का संचालन करवाया। इस निर्वाचन के लिए प्रयोग में लाई गई मतदाता सूचियों में कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र निम्न प्रकार से थे :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
4540995	37,69,977 (83.02%)	38,71,134 (85.25%)	7,71,371 (16.99%)

चुनाव से पूर्व इस निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले 17 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दो फर्मों M/S UMC, TECHNOLOGIES PVT. LTD. Jaipur and M/S MICRO VIEWS IDENTI SYSTEMS, Kolkata के माध्यम से दिनांक 28 अप्रैल-2008 से 14 मई 2008 तक मतदाताओं की फोटोग्राफी करवाई गई जिसमें 64,516 मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किए गए। ऐसे मतदाता, जिन्हें पहचान पत्र न मिल पाया या किसी कारणवश उनके पास पहचान पत्र न था, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुरूप निर्धारित किये वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को पीठासीन अधिकारी को दिखा कर निर्वाचन के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिया।

परिसीमन व मतदान केन्द्रों के पुनरीक्षण/युक्तिकरण के पश्चात 31-08-2008 को अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियों में कुल मतदाता, फोटो व्याप्ति, मतदाता फोटो पहचान पत्र निम्न प्रकार से थे :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
4540041	37,90,038 (83.48%)	38,80,894 (85.48%)	7,50,003 (16.52%)

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को लोकसभा के साधारण निर्वाचन-2009 से पहले शत प्रतिशत फोटोयुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। उक्त निर्देशों की अनुपालना में फोटो

व्याप्ति तथा मतदाता फोटो पहचान पत्रों की संख्या में वृद्धि हेतु दो फर्मों M/S UMC, TECHNOLOGIES PVT. LTD. Jaipur and M/S MICRO VIEWS IDENTI SYSTEMS, KOLKATA के साथ 30 अप्रैल, 2007 तथा 03 मई 2007 को हस्ताक्षरित किये गए Contract Agreement जिसके अनुसार इस कार्य के लिए दोनो फर्मों को 11.75 रुपये प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र की दर से सौंपा गया था, को आगे बढ़ाया गया। दोनो फर्मों को 9 जिलों के 62-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटो पहचान पत्र बनाने का कार्य दिया गया जिनमें उन्होंने दिनांक 12-11-2008 से 15-12-2008 तक 2,177,29 नए व 35,504 डुप्लीकेट कुल 2,53,233 त्रुटि रहित मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार किए । कुल्लू, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति तथा चम्बा जिले की 2-भरमौर सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित (कुल 7) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 20-09-2008 से 10-10-2008 तक विभाग द्वारा स्वयं 32021 मतदाताओं की फोटोग्राफी की गई जिसमे से 13815 नए व 2017 डुप्लीकेट कुल 15832 मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार किए। ये सभी 2,69,065 पहचान पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित मतदाताओं में वितरित किए गए।

फोटोग्राफी की जानकारी हेतु सम्बन्धित मतदाताओं में आग्रह पत्र बांटे गए जिन पर फोटोग्राफी का समय, तिथि व स्थान दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों जैसे समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पोस्टरों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार करवाया गया ताकि अधिक से अधिक मतदाता इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस अभियान के माध्यम से विभाग का यह भरसक प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बनाए जा सकें।

प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को 01-01-2009 को अर्हता तिथि के आधार पर गहन पुनरीक्षण किया गया जिसका अन्तिम प्रकाशन 10 जनवरी, 2009 को किया गया। 10-01-2009 को अन्तिम रूप से प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियों में कुल मतदाता, मतदाता फोटो पहचान पत्र निम्न प्रकार से है :-

कुल मतदाता	मतदाता सूचियों में फोटो व्याप्ति	मतदाता फोटो पहचान पत्र	शत प्रतिशत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों हेतु फोटो का लिया जाना
45,41,072	40,13,646 (88.39%)	40,75,536 (89.75%)	5,27,446 (11.61%)

दिनांक 30-12-2008 को तहसीलदार (निर्वाचन) बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश महोदय द्वारा शत प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए विभागीय स्तर पर फोटोग्राफी करने के लिए निर्देश किए गए हैं जिनकी अनुपालना में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने विभागीय स्तर पर फोटोग्राफी अभियान चलाया गया है जिसमें 31-03-2009 तक कुल 24,141 मतदाताओं की फोटोग्राफी की गई है और अभी तक 3083 मतदाता फोटो पहचान तैयार किए गए हैं।

प्रदेश में निर्वाचकों और मतदाता फोटो पहचान पत्रों की निर्वाचन क्षेत्र/जिलावार विवरणिका परिशिष्ट "ख" पर है :-

(घ) राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति निर्वाचन

भारत के संविधान में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों का प्रावधान है (अनुच्छेद 52 व 63), जिनके निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण में करवाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 324 में निहित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उक्त निर्वाचक मण्डल (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों पर आधारित होता है। इसी प्रकार उप-राष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिये निर्वाचक मण्डल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनित सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रपति निर्वाचन में लोक सभा एवं राज्य सभा के महासचिव चक्रानुक्रम (रोटेशन) में रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तथा लोक सभा / राज्य सभा के अतिरिक्त / संयुक्त सचिव एवं समस्त राज्य विधान सभाओं के सचिव, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं। संसद एवं राज्य विधान सभाओं के परिसरों में मतदान के लिये स्थान निर्धारित किया जाता है। उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त / संयुक्त सचिव सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और संसद भवन परिसर में ही मतदान के लिए स्थान नियत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 702 एवं हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मान 51 निर्धारित है। राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में करवाये जाते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करवाये जाते हैं।

वर्ष 2008-2009 में राष्ट्रपति / उप-राष्ट्रपति पद हेतु कोई भी निर्वाचन नहीं करवाये गये हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन अगस्त, 2012 में करवाये जाने हैं।

(ड.) राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन :

हिमाचल प्रदेश राज्य से राज्य सभा में कुल तीन सीटें आंबटित हैं। राज्य सभा संसद का स्थाई सदन होने तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होने के कारण प्रत्येक 2 वर्षीय अवधि में कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् एक सदस्य रिटायर होता है जिसकी रिक्ति की पूर्ति हेतु निर्वाचन करवाये जाते हैं।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि यह विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सचिव, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं और विधान सभा सदस्यों द्वारा मतदान के लिए स्थान भी विधान सभा परिसर में ही निर्धारित किया जाता है।

वर्तमान में निम्नलिखित सांसद हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे

हैं:-

1.	श्री आनन्द शर्मा (इंडियन नेशनल कांग्रेस)	26-3-2004 से
2.	श्रीमती विप्लव ठाकुर (इंडियन नेशनल कांग्रेस)	20-3-2006 से
3.	श्री शान्ता कुमार (भारतीय जनता पार्टी)	19-3-2008 से

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में सदस्यों की दलीय स्थिति

राजनैतिक दल का पूरा नाम	सदस्यों की संख्या	विधान परिषद	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	2	3	4
1. भारतीय जनता पार्टी	42	—	—
2. इंडियन नेशनल काँग्रेस	23	—	—
3. निर्दलीय	3	—	—

(च) लोक सभा उप निर्वाचन एवं विधान सभा के साधारण निर्वाचन :

(1) लोक सभा उप निर्वाचन:

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार 4-हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन दिनांक 22 मई, 2008 को शान्तिमय, निष्पक्ष और स्वतन्त्र रूप से निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पन्न करवाये गये:-

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	28 अप्रैल, 2008(सोमवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	5 मई, 2008 (सोमवार)
3. नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	6 मई, 2008(मंगलवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख	8 मई, 2008(वीरवार)
5. मतदान की तारीख	22 मई, 2008(वीरवार)
6. मतगणना की तारीख	25 मई, 2008(रविवार)
7. वह तारीख जिससे पूर्व उक्त वर्णित निर्वाचन सम्पन्न किया गया	27 मई, 2008(मंगलवार)

लोक सभा उप निर्वाचन-2008 से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार से है :-

1. मतदान केन्द्रों की संख्या	1373
2. मतदाताओं की संख्या	1149329
3. मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या एवं प्रतिशतता	583260 50.75%
4. रद्द किये गये नाम निर्देशन पत्र	2
5. नाम निर्देशन अभ्यर्थियों की संख्या	6
6. अभ्यर्थिता वापिस लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	—
7. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	4
8. प्रति मतदान केन्द्र की दर से औसत मतदाताओं की संख्या	854
9. मतदान की तिथि	22.05.2008
10. मतगणना की तिथि	25.05.2008

4-हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2008 में श्री अनुराग सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के उमीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे।

(2) लोक सभा निर्वाचन-2009 :

भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा निर्वाचन-2009 के कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 2 मार्च, 2009 को की, जिसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :-

1. अधिसूचना जारी करने की तारीख	17 अप्रैल, 2009(शुक्रवार)
2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	24 अप्रैल, 2009(शुक्रवार)
3. नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	25 अप्रैल, 2009(शनिवार)
4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	27 अप्रैल, 2009(सोमवार)
5. मतदान की तारीख	13 मई, 2009(बुधवार)
6. मतगणना की तारीख	16 मई, 2009(शनिवार)
7. वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	28 मई, 2009(वीरवार)

अध्याय—।।।

प्रशासनिक कार्य

(क) स्थापना सम्बन्धी कार्य:

(i) अधिकारी व कर्मचारी वर्ग :

निर्वाचन विभाग में दिनांक 31-3-2009 को विभिन्न श्रेणियों के 297 पद स्वीकृत थे।

उपरोक्त पदों में से दिनांक 31-3-2009 को विभिन्न श्रेणियों के 43 पद निम्न विवरणानुसार रिक्त थे :-

1.	अनुभाग अधिकारी	1
2.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
3.	तहसीलदार (निर्वाचन)	1
4.	वरिष्ठ सहायक	1
5.	निर्वाचन कानूनगो	5
6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1
7.	लिपिक	23
8.	चपड़ासी	8
9.	चौकीदार	2
योग :		43

(ii) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा पदोन्नति के फलस्वरूप हुए रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अधीन पूर्ति हेतु समय-समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार विभाग के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति/पदोन्नति के फलस्वरूप निर्धारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उनकी सेवा में पुष्टि करने, लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर कनिष्ठ सहायक स्थापन करने, निर्वाचन कानूनगो का सेकण्डमेंट आधार पर चयन करने तथा समरूप वेतनमान में बिना किसी लाभ के 8/16/24/32 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर उन्हें उच्च वेतनमान व एक अतिरिक्त वेतन बृद्धि स्वीकृत करने बारे भी समय-समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन भी किया गया।

(iii) रिक्त पदों की पूर्ति :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पूर्ति करने बारे विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास किए गए तथा प्रस्तावनाएं वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को सहमति हेतु भेजी गई। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभागीय प्रस्तावनानुसार विभाग को निम्न रिक्त पदों की पूर्ति करने की अनुमति प्रदान की गई:—

क्र. सं.	श्रेणी	सरकार द्वारा प्रदान अनुमति			योग
		नियमित आधार पर	अनुबन्ध आधार पर	दैनिक भोगी आधार पर	
1.	निर्वाचन कानूनगो	8	9	—	17
2.	लिपिक	1	18	—	19
3.	चतुर्थ श्रेणी	—	—	4 (2 रिक्त पदों की पूर्ति अनुकम्पा के आधार पर तथा 2 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा चपड़ासियों एवं चौकीदारों के नियमित रिक्त पदों के विपरीत)	4
योग:—		9	27	4	40

सरकार द्वारा प्रदान अनुमति के दृष्टिगत विभाग द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मांग सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात् अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड व भूतपूर्व सैनिक सैल, हमीरपुर को भेजी गई।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न रिक्त पदों की भर्ती अभिकरण की सिफारिशों के आधार पर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके पूर्ति की गई:—

क्र. सं.	श्रेणी	नियमित आधार पर	अनुबन्ध आधार पर	दैनिक भोगी आधार पर	योग
1.	निर्वाचन कानूनगो	3	2	—	5
2.	लिपिक	6	—	—	6
3.	चतुर्थ श्रेणी	—	—	2 (अनुकम्पा के आधार पर चपड़ासियों एवं चौकीदारों के नियमित रिक्त पदों के विपरीत)	2
योग:—		9	2	2	13

इसी प्रकार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के निम्न रिक्त पदों की प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा पूर्ति की गई:-

क्र. सं.	श्रेणी	भरे गए रिक्त पदों की संख्या
1.	निर्वाचन अधिकारी	1
2.	तहसीलदार (निर्वाचन)	3
3.	वरिष्ठ सहायक	5
4.	निर्वाचन कानूनगो	3 (राजस्व एवं भू-व्यवस्था विभाग के पटवारियों में से सेकण्डमेंट आधार पर)
5.	लिपिक	1
योग:-		13

विभाग के सीधी भर्ती व पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान भी प्रचलित भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अधीन भरने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

(iv) अधिनियमों/नियमों का अधिनियमन :

निर्वाचन विभाग के अपने कोई भी नियम/अधिनियम नहीं है। परिणामतः विभाग केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए निर्वाचनों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के नियमों/अधिनियमों/अनुदेशों के अधीन कार्य करता है। निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए गए हैं जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन अद्यतन रखा जाता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	श्रेणी का नाम, जिसके R & P Rules में वर्ष 2008-2009 के दौरान संशोधन किया गया	संशोधन की तिथियां	
		प्रथम	द्वितीय
1	2	3	4
1.	कनिष्ठ वेतनमान, आशुलिपिक श्रेणी-III (अराजपत्रित)	9.6.2008	15.1.2009
2.	कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	17.6.2008	—
3.	निर्वाचन कानूनगो, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	28.7.2008	—
4.	वाहन चालक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	28.7.2008	—
5.	वरिष्ठ सहायक, श्रेणी-III (अराजपत्रित)	10.12.2008	—
6.	निजी सचिव, श्रेणी-I (राजपत्रित)	16.3.2009 नए नियम तैयार करके अधिसूचित	—

इसके अतिरिक्त विभाग का प्रशासनिक कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों एवं अनुदेशों तथा हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन नियमावली, 1971 के अन्तर्गत जारी किए गए विभागीय स्थाई आदेशों के अधीन संचालित किया जाता है।

(V) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :-

(i) पृष्ठभूमि:- भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (15 जून, 2005 को अधिसूचित किए जाने के 120वे दिन) को लागू हुआ था। इस अधिनियम की यह अपेक्षा है कि जन सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदान करें। यदि कोई जन सूचना अधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित सूचना प्रदाय नहीं करता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदाय करने से इनकार किया गया है। जन सूचना अधिकारी के लिए मामले को निपटाने की समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि से आरम्भ होगी। जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय न करने की स्थिति में आवेदक अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर उसे प्रदाय न करने की स्थिति में दोषी जन सूचना अधिकारियों पर 250/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण किए जाने का प्रावधान है, यदि वे बिना किसी कारण के दोषी पाए जाते हैं। दण्ड की अधिकतम राशि 25000/-रुपए तक हो सकती है।

(ii) सूचना प्राप्त करने हेतु फीस/शुल्क: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदाय करने हेतु अपने नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार आवेदन पत्र का शुल्क 10/-रुपए निर्धारित किया गया है। सूचना तैयार होने पर इसकी कीमत निम्न प्रकार से है:-

1	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो।	प्रकाशित मूल्य पर
2	समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त	ए-4 आकार तथा इससे छोटे आकार के लिए 2/-रुपए प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत जो कम से कम 20/-रुपए प्रति पृष्ठ होगी।
3	जहां सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी हो, जैसे फ्लापी, सी.डी. इत्यादि।	50/-रुपए प्रति फ्लापी और 100/-रुपए प्रति सी.डी.।
4	रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए शुल्क	20/-रुपए प्रति 30 मिनट अथवा इसके अंश के लिए।

(VI) अधिकारियों व कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां :

विभाग के सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की दिनांक 1-1-2008 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां उपलब्ध हैं। दिनांक 1-1-2009 की अर्हता तिथि के आधार पर सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूचियां तैयार करके दिनांक 3 फरवरी, 2009 को दावे एवं आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त दावों एवं

आक्षेपों का निपटारा करने के उपरान्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दिनांक 1-1-2009 की अर्हता तिथि के आधार पर स्थाई वरिष्ठता सूचियां शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

(VII) अनुशासनहीनता के मामले :

विभाग के उप-मण्डलीय निर्वाचन कार्यालय, भरमौर में कार्यरत श्री राजेन्द्र सिंह चपड़ासी को जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), चम्बा द्वारा दोषारोपित किया गया था। दोषारोपित कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी से प्राप्त हो गई है जिसके अन्तर्गत कर्मचारी को निर्दोष पाया गया है। उक्त निर्णय पर आगामी कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), चम्बा द्वारा अम्ल में लाई जानी है। विभाग द्वारा उन्हें इसके अन्तिम निपटारे बारे पत्र संख्या: 5-10/90-ई0एल0एन0 दिनांक 28 जुलाई 2008 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त विभाग के जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त), शिमला द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत श्रीमती ऊषा चौहान व श्री राजेश्वर पिटा, निर्वाचन कानूनगो को विधान सभा निर्वाचन के दौरान स्वेच्छापूर्ण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए क्रमशः दिनांक 11-1-2008 व 14-2-2008 को दोषारोपित किया गया है। दोषारोपित कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। उपरोक्त मामलों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	दोषारोपित कर्मचारी का नाम व पदनाम	आरोपों का संक्षेप में विवरण	दोषारोपित करने की तिथि	जांचकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम	जांच की कार्यवाही की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री राजेश्वर पिटा, निर्वाचन कानूनगो, शिमला (शहरी)	विधान सभा निर्वाचन-2007 के दौरान ड्यूटी से स्वेच्छा से अनुपस्थिति	14-2-2008	श्री गोपाल शर्मा, एडीएम, प्रोटोकॉल।	श्री राजेन्द्र शर्मा, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), शिमला।	जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला की दिसम्बर माह की रिपोर्टानुसार जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
2.	श्रीमती ऊषा चौहान, निर्वाचन कानूनगो, 6-कुमारसैन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।	विधान सभा निर्वाचन-2007 के दौरान मतदान के दिन ड्यूटी से स्वेच्छा से अनुपस्थिति	11-1-2008	श्री गोपाल शर्मा, एडीएम, प्रोटोकॉल।	श्री राजेन्द्र शर्मा, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), शिमला।	जिला निर्वाचन कार्यालय, शिमला की दिसम्बर माह की रिपोर्टानुसार जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का कोई मामला नहीं है।

(VIII) सतर्कता मामले :

विभाग में इस समय किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सतर्कता से सम्बन्धित कोई भी मामला नहीं है ।

(IX) न्यायालय मामले :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा जारी सेवा सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध 8 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। सभी मामलों के विभागीय उत्तर समय पर दायर किए जा चुके हैं। कथित अनिर्णित मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ओ.ए. संख्या तथा दिनांक	न्यायालय मामले का संक्षेप में विवरण	उत्तर दायर करने की तिथि	निर्णय की तिथि
1.	श्री राम चन्द्र, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)	2216/97 26-11-97 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-1)	निलम्बन आदेश को रद्द करने तथा पूर्व तिथि से नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के पद पर पदोन्नत करने बारे।	24-12-1997	-
2.	श्रीमती कमलेश शर्मा, पूर्व दैनिक भोगी कर्मचारी।	13/2003 07-07-2003 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-14)	विभाग में नियमित लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	29-07-2003	-
3.	श्रीमती चन्द्रावती ठाकुर।	929/1999 18-03-2004 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-17)	विभाग में दैनिक दर पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।	30-10-2004	-
4.	श्री बलदेव दास, कनिष्ठ सहायक।	885/2006 25-03-2006 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-25)	दिनांक 8-10-1994 से कनिष्ठ सहायक का वेतनमान दिये जाने बारे।	12-05-2006	-
5.	हि.प्र. राज्य निर्वाचन कानूनगो संघ	99/2008 11-1-2008 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-27)	तहसीलदार (निर्वाचन) के प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन बारे।	06-02-2008	-
6.	श्री कृष्ण सिंह बनाम राज्य सरकार	1300/2007 06-06-2007 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-28)	लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि से लियन व वरिष्ठता के उपरान्त वित्तीय लाभ प्रदान करने बारे।	21-07-2007	-
7.	श्रीमति सुमन देवी बनाम राज्य	862/2008 08-04-2008 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-29)	अल्प ठहराव होने पर स्थानान्तरण किए जाने बारे।	05-05-2008	-
8.	श्री खूब सिंह बनाम राज्य सरकार	सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर-100/2009 (न्यायालय रजिस्टर क्रम संख्या-30)	दैनिक भोगी रूप में 8 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि से नियमितिकरण करने बारे।	25-02-2009	-

(X) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना व ई-समाधान को लागू करना :

जन शिकायत निवारण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना मुख्यालय व समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में कर दी गई है। उक्त शिकायत निवारण प्रकोष्ठों को जन-साधारण की सुविधा हेतु ई-समाधान साफ्टवेयर द्वारा इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है। ई-समाधान साफ्टवेयर के सुचारु रूप से संचालनार्थ सम्बन्धित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है ताकि जन-साधारण से प्राप्त शिकायतों का ई-समाधान के द्वारा तुरन्त निवारण कर सकें।

(XI) वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) :

कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार वैयक्तिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (Personal Management Information System) के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

(ख) लेखा परीक्षा मामले :

- निर्वाचन विभाग मुख्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2008-2009 को लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पण की 12 रिपोर्टें और 26 पैरे अनिर्णित थे। इन कुल रिपोर्टों व लेखा परीक्षा पैरों में से 5 रिपोर्ट और 12 पैरों का निपटारा अन्तिम रूप से किया जा चुका है। शेष 7 रिपोर्टें और 12 पैरों के निपटारे हेतु विभाग प्रयासरत है।

(ग) भण्डार एवं सामग्री :

- वर्ष 2008-2009 के दौरान 4-हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सीट रिक्त होने के कारण लोक सभा के उप-निर्वाचन हेतु दिनांक 28 अप्रैल, 2008 को अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप दिनांक 22 मई, 2008 को मतदान तथा 25 मई, 2008 को मतगणना हेतु विभिन्न प्रकार के मुद्रित प्ररूप, रजिस्टर, निर्वाचन सामग्री तथा लेखन सामग्री को नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश तथा अन्य विभिन्न अनुमोदित स्रोतों से क्रय करके सम्बन्धित जिलों को दिनांक 24 तथा 25 अप्रैल, 2008 को उपलब्ध करवाई गई।
- निर्वाचन विभाग द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए निर्वाचन विभाग मुख्यालय तथा जिलों में स्थापित विभिन्न प्रकार के कम्प्युटर लेजर प्रिन्टर्स में प्रयुक्त विभिन्न लेजर टोनरों की दरें, दर संविदाओं को आमन्त्रित करके अनुमोदित की गई।

- लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन होने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2008 को अहर्ता तिथि मानते हुए दिनांक 10 जुलाई, 2008 से 31 अगस्त, 2008 के दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया गया । इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार दिनांक 1.1.2008 को अहर्ता तिथि मानते हुए प्रदेश के समस्त जिलों मतदाताओं के फोटो सहित मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के निर्धारित मुद्रित प्ररूप तथा लेखन सामग्री इत्यादि को नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 के माध्यम से प्राप्त करके सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को उपलब्ध करवाया गया ।
- दिनांक 2.8.2008 से 8.8.2008 के दौरान निर्वाचन विभाग मुख्यालय के भण्डार में पड़ी सभी भण्डार की वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया । भौतिक सत्यापन के फलस्वरूप पुरानी तथा अयोग्य वस्तुओं को नकारा घोषित किया गया तथा उनका निपटारा सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिनांक 20.8.2008 को कर दिया गया है । नीलामी से प्राप्त आय को विभागीय आय लेखा शीर्ष में चालान संख्या 5, दिनांक 25.8.2008 को जमा कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में समस्त जिलों को भी आवश्यक निदेश दिये गये ।
- निर्वाचन विभाग मुख्यालय में कान्फ्रेंस हॉल के आन्तरिक निर्माण एवं साज-सज्जा तथा एक कम्प्युटर सरवर कक्ष में वर्क-स्टेशन बनाने व **PVC Flooring** करने बारे प्रबन्धक, सामान्य उद्योग निगम सीमित, कसुम्पटी, शिमला-9 से कुल मुवलिंग 7,92,510/-रूपये के अनुमान मौके पर माप इत्यादि लेकर मंगाये गये तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके निर्वाचन विभाग मुख्यालय में कान्फ्रेंस हॉल के आन्तरिक निर्माण एवं साज-सज्जा तथा एक कम्प्युटर सरवर कक्ष में वर्क-स्टेशन का कार्य किया गया ।
- लोक सभा के निर्वाचनार्थ इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करवाये जाने के आधार पर विभिन्न प्रकार के मुद्रित प्ररूप, रजिस्टर, निर्वाचन सामग्री तथा लेखन सामग्री को नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश तथा अन्य अनुमोदित फर्मों को आपूर्ति आदेश जारी किये गये ।
- निर्वाचन विभाग में नेमी कार्य को वर्ष भर में सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु वार्षिक मांग के विपरीत लेखन सामग्री तथा सर्वव्यापी प्ररूप विभिन्न प्रकार के रजिस्टर इत्यादि नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हि0 प्र0 से जिलों को वितरित करने हेतु क्रय किया गया ।

(घ) विभाग में कम्प्यूटीकरण

निर्वाचन विभाग का लगभग पूर्णतया कम्प्यूटीकरण हो चुका है। मुख्यालय में लगभग सभी कार्य कम्प्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। कम्प्यूटीकृत मुख्य कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है:

1. मतदाता सूचियों का कम्प्यूटीकरण ।
2. मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य ।

3. 4-हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन-2008 के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं/डाटा का सम्प्रेषण।
4. नए परिसीमित विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार मतदाता सूचियों को तैयार करने का कार्य।
5. विधान सभा निर्वाचन-2007 की किताब को तैयार करना।
6. विभागीय बैवसाइट को अपडेट व विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उपलब्ध करना।
7. सामान्य कार्यालय पत्र व्यवहार।

- मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण विभाग द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया है। मतदाता सूचियों की डाटा एन्ट्री का कार्य जिला मुख्यालय स्तर व उप-मण्डल स्तर पर विभाग द्वारा तैयार किये गये सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है तथा डाटा इन्टरनेट के माध्यम से मुख्यालय को भेजा जाता है। मुख्यालय में इस डाटा की पी.डी.एफ. बना कर CDRs में copy करके जिला मुख्यालयों को भेजा जाता है।

- सेवा अर्हता मतदाता सूचियों की मूल नामावली व अनुपूरक-1 की Merging, Consolidation व Integration की गई और नए परिसीमित विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार नई मूल नामावली मतदाता सूचियों तैयार करके सभी जिलों को प्रकाशन करने के लिए प्रदान की गई। सेवा अर्हता मतदाता के अनुपूरक-1 की मतदाता सूचियों को तैयार करके सभी जिलों को प्रदान की गई।

- विभाग ने मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिये भी सॉफ्टवेयर अपने ही स्तर पर विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर प्रोफेशनल की सहायता से तैयार किया है, जिसका प्रयोग हाल ही में हुए अभियानों में सफलता से किया गया है। गत वर्ष मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिए चयनित बैन्डरों के कर्मचारियों को **ERMS-Photo Software** में काम करने का प्रशिक्षण दिया गया। इन बैन्डरों को मतदाता सूचियों का डाटाबेस व सॉफ्टवेयर भी प्रदान किया गया।

- 4-हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जिला मुख्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों से इन्टरनेट के माध्यम से सफलतापूर्वक भारत निर्वाचन आयोग को सम्प्रेषण किया गया। उप-निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए **Randomization Software** का प्रशिक्षण **NIC, HP Sectt., Shimla** की सहायता से 4-जिलों (हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व काँगड़ा) के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किया गया।

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 4-हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन की 17-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की **Alphabetical Order** में मतदाता सूचियाँ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और पी.डी.एफ. तैयार करके सम्बन्धित जिलों को प्रिंटिंग के लिए प्रदान की गई। इन मतदाता सूचियों का प्रयोग उप-निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों में मतदाताओं का नाम ढूँढने के लिए किया गया।

- गत वर्ष दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की सूचियां तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और सम्भावित दोहरे पंजीकृत मतदाताओं की सूचियां तैयार करके सभी जिलों को सत्यापन करने के लिए प्रदान की गई। इन मतदाताओं की जांच पड़ताल करने के बाद 68-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से सत्यापित दोहरे पंजीकृत मतदाताओं के नामों का मतदाता सूचियों से विलोपन किया गया।

- नए परिसीमित विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार नयी मतदाता सूचियों की पी.डी.एफ. तैयार करके जिलों को प्रिंटिंग व प्रकाशन करने के लिए प्रदान की गई। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 10-11-2008 व अन्तिम प्रकाशन 10-01-2009 को किया गया।

- विधान सभा निर्वाचन-2007 व 4-हमीरपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करके किताब को तैयार की गई।

- विभाग द्वारा अपनी बैवसाइट <http://ceohimachal.nic.in> तैयार की गई है जिसमें निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध है। सभी मतदाताओं का डाटाबेस भी इस बैवसाइट पर डाला गया है जिससे मतदाता अपने नाम इत्यादि मतदाता सूची में ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों को पी.डी.एफ. फॉरमेट में बैवसाइट पर डाला गया है। ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को प्रदान की गई है।

परिशिष्ट "क"

Name of Distt.	No. & Name of A/C	Existing Polling Stations		Auxiliary Polling Stations	
		No. & Name of Polling Station	Name of Existing Polling Stations Buildings	No. & Name of Auxiliary Polling Station	Name of Auxiliary Polling Stations Buildings
1	2	3	4	5	6
Mandi	31-Jogindernagar	98-Garoru	Govt. Primary School, Garoru	98-A-Garoru	Govt. Primary School, Garoru (Left Side)
Solan	54-Kasauli (SC)	55-Sanawar	Govt. Primary School, Sanawar	55-A-Sanawar	Leprosy Hospital Mandodhar

EPICs Position as on 10.01.2009 i.e date of final publication w.r.t 01.01.2009 as qualifying date

No & Name of AC	Total Electors	Total Photo in Electoral Roll	% of Photo Entries	(Non-Photo Entries)	%age of Non-Photo Entries	Total EPIC Holders	Residual Electors	%age of Redidual Electors	EPICs %age
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
District-Chamba									
1-CHURAH(SC)	60296	54679	90.68	740	1.23	55419	4877	8.09	91.91
2-BHARMOUR(ST)	68697	54347	79.11	670	0.98	55017	13680	19.91	80.09
3-CHAMBA	68599	57582	83.94	1656	2.41	59238	9361	13.65	86.35
4-DALHOUSIE	59856	52024	86.92	916	1.53	52940	6916	11.55	88.45
5-BHATTIYAT	62685	54367	86.73	1745	2.78	56112	6573	10.49	89.51
District Total	320133	272999	85.28	5727	1.79	278726	41407	12.93	87.07
District-Kangra									
6-NURPUR	71611	60806	84.91	1216	1.70	62022	9589	13.39	86.61
7-INDORA(SC)	72087	61010	84.63	970	1.35	61980	10107	14.02	85.98
8-FATEHPUR	68762	59800	86.97	912	1.33	60712	8050	11.71	88.29
9-JAWALI	78122	67205	86.03	1902	2.43	69107	9015	11.54	88.46
10-DEHRA	66876	60499	90.46	630	0.94	61129	5747	8.59	91.41
11-JASWAN-PRAGPUR	66333	59665	89.95	538	0.81	60203	6130	9.24	90.76
12-JAWALAMUKHI	61789	56421	91.31	817	1.32	57238	4551	7.37	92.63
13-JAISINGHPUR(SC)	71528	60270	84.26	1471	2.06	61741	9787	13.68	86.32
14-SULLAH	85257	73400	86.09	1515	1.78	74915	10342	12.13	87.87
15-NAGROTA	72584	65159	89.77	599	0.83	65758	6826	9.40	90.60
16-KANGRA	67068	58705	87.53	2076	3.10	60781	6287	9.37	90.63
17-SHAHPUR	71496	61617	86.18	1793	2.51	63410	8086	11.31	88.69
18-DHARAMSHALA	66831	56167	84.04	1567	2.34	57734	9097	13.61	86.39
19-PALAMPUR	64389	54090	84.01	964	1.50	55054	9335	14.50	85.50
20-BAIJNATH(SC)	75170	63097	83.94	1875	2.49	64972	10198	13.57	86.43
District Total	1059903	917911	86.60	18845	1.78	936756	123147	11.62	88.38
District-Lahaul & Spiti									
21-LAHAUL & SPITI(ST)	22622	19881	87.88	236	1.04	20117	2505	11.07	88.93
District Total	22622	19881	87.88	236	1.04	20117	2505	11.07	88.93
District-Kullu									
22-MANALI	62357	54864	87.98	696	1.12	55560	6797	10.90	89.10
23-KULLU	75760	66771	88.13	493	0.65	67264	8496	11.21	88.79
24-BANJAR	60898	55677	91.43	297	0.49	55974	4924	8.09	91.91
25-ANNI(SC)	71157	65916	92.63	827	1.16	66743	4414	6.20	93.80
District Total	270172	243228	90.03	2313	0.86	245541	24631	9.12	90.88

District-Mandi									
26-KARSOG(SC)	59364	55269	93.10	338	0.57	55607	3757	6.33	93.67
27-SUNDERNAGAR	70178	61228	87.25	1422	2.03	62650	7528	10.73	89.27
28-NACHAN(SC)	68797	63655	92.53	954	1.39	64609	4188	6.09	93.91
29-SERAJ	65711	62229	94.70	292	0.44	62521	3190	4.85	95.15
30-DARANG	72672	64162	88.29	719	0.99	64881	7791	10.72	89.28
31-JOGINDERNAGAR	82359	73710	89.50	1225	1.49	74935	7424	9.01	90.99
32-DHARAMPUR	66459	57608	86.68	1224	1.84	58832	7627	11.48	88.52
33-MANDI	64762	56608	87.41	896	1.38	57504	7258	11.21	88.79
34-BALH(SC)	64034	58153	90.82	1071	1.67	59224	4810	7.51	92.49
35-SARKAGHAT	73483	67203	91.45	257	0.35	67460	6023	8.20	91.80
District Total	687819	619825	90.11	8398	1.22	628223	59596	8.66	91.34
District-Hamirpur									
36-BHORANJ(SC)	68425	63088	92.20	714	1.04	63802	4623	6.76	93.24
37-SUJANPUR	61570	54400	88.35	1428	2.32	55828	5742	9.33	90.67
38-HAMIRPUR	64652	56896	88.00	652	1.01	57548	7104	10.99	89.01
39-BARSAR	71441	66365	92.89	675	0.94	67040	4401	6.16	93.84
40-NADAUN	78073	72004	92.23	461	0.59	72465	5608	7.18	92.82
District Total	344161	312753	90.87	3930	1.14	316683	27478	7.98	92.02
District-Una									
41-CHINTPURNI(SC)	71604	63942	89.30	286	0.40	64228	7376	10.30	89.70
42-GAGRET	68759	62451	90.83	393	0.57	62844	5915	8.60	91.40
43-HAROLI	70316	64468	91.68	827	1.18	65295	5021	7.14	92.86
44-UNA	70978	64382	90.71	811	1.14	65193	5785	8.15	91.85
45-KUTLEHAR	69950	65301	93.35	581	0.83	65882	4068	5.82	94.18
District Total	351607	320544	91.17	2898	0.82	323442	28165	8.01	91.99
District-Bilaspur									
46-JHANDUTA(SC)	64442	57762	89.63	775	1.20	58537	5905	9.16	90.84
47-GHUMARWIN	73762	64466	87.40	981	1.33	65447	8315	11.27	88.73
48-BILASPUR	70020	61773	88.22	1056	1.51	62829	7191	10.27	89.73
49-SRI NAINA DEVIJI	58846	53253	90.50	470	0.80	53723	5123	8.71	91.29
District Total	267070	237254	88.84	3282	1.23	240536	26534	9.94	90.06
District-Solan									
50-ARKI	74506	68386	91.79	435	0.58	68821	5685	7.63	92.37
51-NALAGARH	69959	64727	92.52	364	0.52	65091	4868	6.96	93.04
52-DOON	52102	47533	91.23	158	0.30	47691	4411	8.47	91.53
53-SOLAN(SC)	74613	60167	80.64	1927	2.58	62094	12519	16.78	83.22
54-KASAULI(SC)	55221	50803	92.00	279	0.51	51082	4139	7.50	92.50
District Total	326401	291616	89.34	3163	0.97	294779	31622	9.69	90.31

District-Sirmour									
55-PACHHAD(SC)	61102	57569	94.22	201	0.33	57770	3332	5.45	94.55
56-NAHAN	66566	62560	93.98	193	0.29	62753	3813	5.73	94.27
57-SRI RENUKAJI(SC)	56308	53142	94.38	156	0.28	53298	3010	5.35	94.65
58-PAONTA SAHIB	64604	59667	92.36	551	0.85	60218	4386	6.79	93.21
59-SHILLAI	57317	51188	89.31	1404	2.45	52592	4725	8.24	91.76
District Total	305897	284126	92.88	2505	0.82	286631	19266	6.30	93.70
District-Shimla									
60-CHOPAL	66533	56910	85.54	1333	2.00	58243	8290	12.46	87.54
61-THEOG	71721	68841	95.98	492	0.69	69333	2388	3.33	96.67
62-KASUMPTI	65240	49085	75.24	955	1.46	50040	15200	23.30	76.70
63-SHIMLA	64902	48347	74.49	3700	5.70	52047	12855	19.81	80.19
64-SHIMLA RURAL	69842	58350	83.55	695	1.00	59045	10797	15.46	84.54
65-JUBBAL-KOTKHAI	63124	53437	84.65	716	1.13	54153	8971	14.21	85.79
66-RAMPUR(SC)	68234	59507	87.21	636	0.93	60143	8091	11.86	88.14
67-ROHRU(SC)	65385	53704	82.14	1339	2.05	55043	10342	15.82	84.18
District Total	534981	448181	83.78	9866	1.84	458047	76934	14.38	85.62
District-Kinnaur									
68-KINNAUR(ST)	50306	45328	90.10	727	1.45	46055	4251	8.45	91.55
District Total	50306	45328	90.10	727	1.45	46055	4251	8.45	91.55
STATE TOTAL:	4541072	4013646	88.39	61890	1.36	4075536	465536	10.25	89.75

परिशिष्ट "ग"

क्र.सं.	आवेदक का नाम एवं पूरा पता	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	विषय वस्तु	सूचना तैयार होने की तिथि	सूचना का मूल्य	सूचना प्रदाय करने की तिथि	एकत्रित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री पी.जी.राजू हाऊस नम्बर-6-ए, सन वियू जी.पी. बिहाईन्ड मस्जिद, छोटा शिमला-2.	24-4-2008 (सचिव (वित्त), हि.प्र. सरकार के माध्यम से)	अध्ययन अवकाश बारे।	29-4-2008	47/- रूपए डाक खर्च सहित।	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 29-4-2008 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया था।	शून्य (आवेदक द्वारा अभी तक सूचना प्राप्त नहीं की गई है)
2.	श्री श्रीकान्त वैद्य, ई-244, सेक्टर-15 नोएडा -201301	19-05-2008 (भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	आज तक कितने अधिकारियों पर गलत ईलैक्शन कार्ड या वोटर लिस्ट बनाने के लिए कार्यवाही की गई।	09-06-2008	36/-रूपए (डाक खर्च सहित)	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 09-06-2008 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य (आवेदक द्वारा अभी तक सूचना प्राप्त नहीं की गई है।)
3.	श्री राजकुमार पुत्र भगत राम, गांव नौहगी, पोस्ट आफिस ककडियार, तहसील व जिला हमीरपुर।	31-5-08	अमित स्याही के प्रयोग से सम्बन्धित हिदायतें।	2-6-2008	बी.पी.एल.	2-6-2008	बी.पी.एल.
4.	श्री श्याम लाल यादव स्पेशल कोरसपोन्डेंट इण्डिया टूडे एफ 26 क्वाट प्लेस नई दिल्ली-110001.	26.06.08	बंगला देसी निर्वाचक बारे।	19-07-08	36/-	19-07-08	40/-रूपए
5.	श्री मोहन चौहान, विशेष सचिव (लोक निर्माण), हि.प्र. सरकार, शिमला-2	1-7-2008 (कार्मिक विभाग के माध्यम से)	1972 से 2007 तक भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना।	3-7-2008	27/- रूपए (डाक खर्च सहित)	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 3-7-2008 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	आवेदक द्वारा अभी तक सूचना प्राप्त नहीं की गई है।
6.	श्री श्याम लाल यादव, विशेष सम्पादक, इंडिया टूडे, नई दिल्ली	14.07.2008 मार्फत विधान सभा	विधान सभा सदस्यों की अपराधिक पूर्ववृत्तों, परिसम्पत्तियों, जिम्मेदारियों और शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचना	6.08.2008	24407/- रूपए (डाक खर्च सहित)	-	-
7.	श्री देव आशीष भट्टाचार्य, 91-के, सेक्टर-4, एच.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली।	17-7-2008 (जन सूचना अधिकारी एवं उप सचिव (सतर्कता), हि. प्र.स. के माध्यम से)	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों की नियुक्ति बारे।	19-7-2008	- (वांछित सूचना शून्य होने के कारण)	आवेदक को इस सम्बन्ध में दिनांक 19-7-2008 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	श्री एस. रावत, लेफटीनेंट कर्नल (सेवा निवृत्त) उतराखण्ड।	22.07.2008	ऐसे सेवा अर्हता मतदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रॉक्सी नियुक्त किये हैं।	22.07.2008	—	सूचना प्रदाय करने हेतु समस्त रिटर्निंग आफिसरों को पत्र 22.07. 2008 को भेज दिया गया है।	10/- रूपए की राशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई है।
9.	श्री के.जे.के. वायालर, श्री.के.के.मन्दीराम, पोस्ट ओ0 वायालर, केरला-688536,	13.08.2008	नामांकन पत्रों के साथ भरे जाने वाले सम्पत्ति के विवरण आदि।	18.08.2008 को प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है कि वांछित सूचना इस राज्य से सम्बन्धित नहीं है।	—	—	—
10.	श्री पी.जी.राजू हाऊस नम्बर-6-ए, सन वियू जी.पी. बिहाईन्ड मस्जिद, छोटा शिमला-2.	19-8-2008 (प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार),हि.प्र. सरकार के माध्यम से)	महिला कर्मचारियों के कार्य करने के घण्टों के सम्बन्ध में।	21-8-2008	शून्य (वांछित सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजे जाने के कारण)	दिनांक 21-8-2008 को पत्र द्वारा।	शून्य
11.	श्री संदीप कटोच ग्राम व डाकघर सीहुन्द तहसील व जिला काँगडा-176047	21-08-08	पहचान-पत्र बारे।	21-10-08	—	सूचना प्रदाय करने हेतु गृह व राजस्व विभाग को भेजी गई।	10/-रूपए
12.	श्री शेखर सिंह, सी-17 ए, डी.डी.ए फ्लैट्स, नई दिल्ली।	16-9-2008 (जन सूचना अधिकारी एवं उप सचिव प्रशासनिक सुधार),हि.प्र. सरकार के माध्यम से)	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के कार्यान्वयन बारे।	24-9-2008	330/-रूपए (डाक खर्च अतिरिक्त)	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 24-9-2008 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	आवेदक द्वारा अभी तक सूचना प्राप्त नहीं की गई है।
13.	श्री कमल कालरा, ए-15, सैक्टर-2, नजदीक कम्प्यूनिटी सैन्टर, न्यू शिमला, हि0प्र0	18.09.2008	बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों सम्बन्धी सूचना	20.09.2008	70/- रूपए	1.10.2008	70/- रूपए
14.	श्री अनूप कुमार सोनी, काथ मण्डी,बीघेर रोड, पी. डब्ल्यू.डी. कलौनी के विपरीत, फतेहबाद, हरियाणा।	26-9-2008 (आवेदक से सीधे)	वर्ष 2005 से 2008 तक कम्प्यूटर प्रोफेशनलों के नियमितकरण बारे।	3-10-2008	55/-रूपये (डाक खर्च सहित)	आवेदक को वांछित सूचना दिनांक 15-10-200 8 को पत्र द्वारा भेज दी गई है।	55/- रूपए

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	श्री एम.आर.ठाकुर, गांव लर, डा0 टिक्कर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा।	29-9-08	प्रशासनिक यूनिट को सृजित करने पर प्रतिबन्ध व समाप्ति आदेश।	1-10-2008	रूपये 17/-	7-11-2008	रूपये 32/-
16.	श्री विनोद कुमार गंगा राम बियाला, मार्फत प्रेम लाल साहू, गणेश सा मिल के सामने, हरि राम नगर, पुलगांव, जिला वरधा, महाराष्ट्र-442302	29-9-2008 (भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	1993-94 में हुए फोटो पहचान पत्रों की तैयारी सम्बन्धी निविदाएं सूचना एवं तुलनात्मक विवरण आदि की प्रमाणित प्रति	3-10-2008	716/-रूपए (डाक खर्च सहित)	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 4-10-2008 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य (आवेदक द्वारा अभी तक सूचना प्राप्त नहीं की गई है।)
17.	श्री संदीप कटोच, स्पुत्र श्री विश्वास कटोच, गांव व डा0 सिहूंद, जिला कांगड़ा हि0प्र0	21.10.2008	प्रवासी भारतीय द्वारा झूठा मतदाता पहचान पत्र बनवाने उपरान्त अपने मतदान के प्रयोग एवं इसके अन्तर्गत दण्ड के प्रावधानों बारे।	31.10.2008	-	31.10.2008	10/- रूपए
18.	श्री हंस राज शाह, सपुत्र श्री बालक राम, गांव घर, डा0 प्रागपुर, तह0 देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0	2.12.2008	श्री अनुराग ठाकुर, माननीय संसद सदस्य के निर्वाचन व्यय की सूचना बारे	5.12.2008 को रिटर्निंग आफिसर, हमीरपुर को सूचना प्रदाय करने हेतु स्थानांतरित किया गया	-	-	-
19.	श्री जसबीर सिंह, अधिवक्ता, गांव, डा0 व तह0 इन्दौरा जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।	23.12.2008	इन्दौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अवैध एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के बारे	31.12.2008	-	31.12.2008	20/- रूपए
20.	श्रीमती कमलेश कुमारी, मार्फत अर्जुन सिंह, गांव खजूरनू, डा0 कच्छेड़ा तह0 जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176076	30.12.2008 मार्फत सचिव राज्य चुनाव आयोग, शिमला-2	विधान सभा निर्वाचन-2003 व 2007 के विधायकों व लोक सभा निर्वाचन, 2004 के संसद सदस्यों की सूचना बारे	1.12.2008 को प्रार्थी को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है	12/- रूपए जमा 27/- रूपए पंजीकृत डाक खर्च	-	-
21.	ले0 कर्नल दौलत सिंह, बालसन हाऊस नेरीधार, डाकघर कमलानगर वाया संजौली, शिमला।	6-1-2009 (सचिव, सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से)	भूतपूर्व सैनिकों/ उनके आश्रितों/ परिवार के लिए आरक्षित रिक्त पदों/ बैकलॉग रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध में।	19-1-2009	- (वांछित सूचना शून्य होने के कारण)	आवेदक को इस सम्बन्ध में दिनांक 19-1-2009 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति यूनियन, मुम्बई।	13-1-2009 (सचिव, कार्मिक के माध्यम से)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के सम्बन्ध में 1950 से लेकर 2008 तक सूचना।	3-2-2009	- (वांछित सूचना शून्य होने के कारण)	आवेदक को इस सम्बन्ध में दिनांक 3-2-2009 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य
23.	डॉ० नूतन ठाकुर सम्पादक, नूतन सत्ता प्रवाह, 5/426, विरमखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।	24-2-2009 (सचिव, प्रशासनिक सुधार के माध्यम से)	महापुरुषों / महा नुभावों के नाम से प्रारम्भ की गई सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में।	4-3-2009	- (वांछित सूचना शून्य होने के कारण)	आवेदक को इस सम्बन्ध में दिनांक 4-3-2009 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य
24.	श्रीमती हेमलता पठानिया, प्रधान, हिमाचल विकलांग कल्याण संघ, जिला मण्डी।	25-2-2009 (सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के माध्यम से)	विकलांगों हेतु आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने बारे।	4-3-2009	- (वांछित सूचना शून्य होने के कारण)	आवेदक को इस सम्बन्ध में दिनांक 4-3-2009 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य
25.	श्री संजय मण्डयाल, एडवोकेट, जिला कचहरी, मण्डी	7-3-09	रिपोर्ट लोक सभा निर्वाचन 2004, विधान सभा निर्वाचन, 2007	9-3-09	रुपये 418/-	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है।	रुपये 20/-
26.	श्री बिन्देश्वर शाह, वार्ड न० 6, नगर पंचायत डूमरा, थाना डूमरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार	10-3-09	राज्य सभा सदस्य के एफेडेवित	13-3-09	रुपये 110/-	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है।	10/-रुपये की धनराशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई।
27.	श्री फारोगा ईकवाल मखदोमी, यू.टी. न० 49 सपरेट सर्कल रतनागीरि	10-3-09	विधान सभा सदस्य की सूची	20-3-09	रुपये 26/-	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है।	10/-रुपये की धनराशि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में जमा हुई।
28.	नन्द प्रकाश नवमान, सराय रतन लाल, मदार गेट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।	13-03-2009 (भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से)	आयोग ने मतदाताओं की सही पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र व फोटोयुक्त मतदाता सूची बनवाने में अभी तक कुल कितना खर्च किया इत्यादि।	23-03-2009	26/-रुपए (डाक खर्च सहित)	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 23-03-2009 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है।	शून्य (आवेदक द्वारा अभी तक सूचना प्राप्त नहीं की गई है।)

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	श्री राजेश वर्मा (एडवोकेट) उच्च न्यायालय, शिमला	16.03.2009	आदर्श आचार संहिता बारे।	27.03.2009	—	सूचना प्रदाय करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली का दिनांक 27.03.2009 को पत्र भेज दिया गया है।	10/— रूपए
30.	श्री सुभाष चन्द्र, गांव घलोल, डा0 धनेटा, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	26.03.2009	स्टेशन माडीफिकेशन की जानकारी हेतु आवेदन	31.03.2009	34/— रूपए डाक व्यय सहित	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को 31.03.2009 को सूचित किया गया है।	10/— रूपए
31.	कैप्टन सुभाष चन्द्र, कॉलेज रोड, डाकघर बैजनाथ, जिला कांगड़ा।	30.03.2009	स्थानान्तरण व पद स्थापना बारे।	23.04.2009	—	सूचना प्राप्त करने हेतु वित्तियुक्त राजस्व को 23.04.2009 को सूचित किया गया है।	10/— रूपए
32.	भाई मनबीर सिंह, महासचिव, हिमाचल प्रदेश, आर्मज एम्मुनिशियन, डिलर, 32—लोअर बाजार, शिमला।	30.03.2009	आर्मज लाईसेंस देने बारे।	24.04.2009	48/— रूपए डाक व्यय सहित	—	10/— रूपए
33.	श्री अश्वनी ओबराय, बी.53, चाणक्य पैलेस, पार्ट-1, नज़दीक सी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली-110059.	30-3-09	लोक सभा व विधान सभा सदस्य द्वारा निर्वाचनों पर किया गया व्यय।	9.04.2009	रूपये 104/—	आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है।	10/—रूपये की धनराशि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में जमा हुई।